56

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 पुनरीक्षण R-1609-III-14

श्री ... द्वारा आज दि. 27/6/14 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नीरजसिंह पुत्र जसवन्तसिंह व्यवसाय– प्राईवेट सर्विस, निवासी– ग्राम डोंगरपुर, तहसील घुहारा, छतरपुर,

—— आवेदक

बनाम

1. श्रीमती राजाबाई पत्नी श्री नाथूराम यादव निवासी– ग्राम भर्सखेरा (बमनौराकला)
2. म0प्र0 शासन —— अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनाक 10/07/2012 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त घुहारा तहसील घुहारा जिला छतरपुर, के प्रकरण कमांक 27/अ–12/11–12 व उनवान श्रीमती राजाबाई बनाम म0प्र0 शासन

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, अधीनस्थ तहसील न्यायालय का विवादित आदेश एंव सीमांकन की कार्यवाही अवैध अनुचित अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, ग्राम सेवार की विवादित भूमि सर्वे कमांक 1205/2, 1210/1, 1210/2, 1211 किता 4 रकवा 2.838 हैक्टर भूमि आवेदक नीरजसिंह एंव उषा देवी पत्नी सूरजसिंह ने विकेता राजवीरसिंह एंव

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.1609/III/14 जिला छतरपुर

नीरज राजाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.9.15	प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री के. श्रीवास्तव उप. आवेदक अभि. को प्रकरण में सुना गया। आवेदक अभि. द्वारा अपने तर्क में वही तर्क प्रस्तुत किये जो निगरानी मेमो में अंकित थे जिन्हे यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु विचार में लिया जा रहा है। आवेदक अभि. द्वारा अभिलेख के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत तर्कों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 14.8.15 को राजस्व प्रकरण में आवेदक अभि. को आदेशित किया गया था कि राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 10.7.12 से निगरानी प्रस्तुति दिनांक 27.5.14 तक के विलम्ब का प्रत्येक दिवस का हिसाब प्रस्तुत करने हेतु आवेदक अभि. को समय दिया गया था, जिसमें पेशी दिनांक 8.9.15 नियत की गई थी। नियत पेशी पर आवेदक अभि. द्वारा आदेशानुसार विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत करने का प्रत्येक दिवस का कोई हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया। सिर्फ रिकार्ड के आधार पर निर्णय करने का निवेदन किया गया। अनावेदक म.प्र. शासन के अभि. द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया कि किसी भी आदेश के विरूद्ध निगरानी निर्धारित समय सीमा 90 दिवस में प्रस्तुत की जाती है इसमें अत्यधिक एक वर्ष 10 माह जैसी लम्बी अवधि का विलम्ब हुआ है जिसका प्रत्येक दिवस के विलम्ब का लेखा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। निगरानी अवधि बाह्य	

R-1609/III/14 छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	होने से निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया।	
	प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया अवलोकन से प्रथमतः तो न्यायालय के आदेश दिनांक 14.8.15 के पालन में प्रत्येक दिवस के विलम्ब का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया जो एक वर्ष 10 माह का लम्बा विलम्ब है। जो अक्षम्य है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि सीमांकन में बन्दोबस्ती सीमा चिन्हों को आधार बनाकर सीमांकन किया गया है। आपत्तियों का भी निराकरण करने का उल्लेख आक्षेपित आदेश दिनांक 10.7.12 में किया गया है। सिर्फ यह तथ्य विवादित है कि दिनांक 4-7-12 को किये गये सीमांकन कार्यवाही के दौरान आवेदक को सूचना न होने से वह उपस्थित नहीं हो सका है।	
	उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सीमांकन दिनांक 4.7.12 तथा उसका पुष्टि आदेश दिनांक 10.7.12 को स्थगित किया जाकर अधी० राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि वे आवेदक सहित समस्त हितबद्ध सरहदी कृषकों को सूचना पत्र देकर उनकी उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण करें। पुनः सीमांकन की कार्यवाही 3 माह में पूर्ण करें। यह निगरानी उक्त निर्देशों के साथ समाप्त की जाती है।	
	(हस्ताक्षर) सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.